रेफरेन्स / एल.आर. / 2614 / 2002 / जयपुर
सरकार बनाम सोनिया

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकल पीठ
श्री राजेन्द्र कुमार, सदस्य

उपस्थिति–
श्री लोकेन्द्र सिंह राणावत, उप राजकीय अधिवक्ता प्रार्थी
अप्रार्थीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित।

निर्णय **दिनांक : 01.4.2019**

यह रेफरेन्स राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम), जयपुर के रेफरेन्स प्रकरण सं. 578 / 99 में अनुशंषित कार्यवाही दिनांक 20–2–2002 के संदर्भ में पेश किया गया है।

अप्रार्थीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित। अतः एकपक्षीय सुनवाई का आदेश दिया जाकर उप राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने बहस में कथन किया है कि एकीकरण खतौनी जमाबंदी संवत् 2018 ग्राम श्रीनगर तहसील बस्सी में खसरा नंबर 42 / 1 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा भूमि माफी मंदिर श्री गोपालजी पुजारी राधारमण दास चेला छीतरदास सा. धोलाई दर्ज थी तथा कृषक के कॉलम में सोनिया वल्द गणेश का नाम दर्ज था। कालान्तर में माफी मंदिर का नाम विलोपित करते हुए उक्त आराजी अप्रार्थी सोन्या की खातेदारी में दर्ज कर दी गई। माफी मंदिर मूर्ति को शाश्वत नाबालिग माना गया है इसलिए माफी मंदिर मूर्ति द्वारा धारित भूमि का अंकन अन्य किसी व्यक्ति / संस्था के नाम नहीं हो सकता है। अतः रेफरेन्स स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त आराजी बाबत अप्रार्थी के पक्ष में किये गये समस्त इन्द्राजात निरस्त किये जावे तथा उक्त आराजी पुनः माफी मंदिर श्री गोपालजी के नाम दर्ज किये जाने के आदेश दिये जावे।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

खतौनी बंदोबस्त संवत् 2018 के अवलोकन से स्पष्ट है कि आराजी खसरा नंबर 42 / 1 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा भूमि माफी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	मंदिर श्री गोपालजी के नाम दर्ज थी। वर्तमान में उक्त आराजी अप्रार्थी की खातेदारी में दर्ज है। कालान्तर में इस प्रकार माफी मंदिर की भूमि को बिना किसी आधार के अप्रार्थी के नाम अंकित किया गया है, जो नियम विरूद्ध है। मूर्ति मंदिर शाश्वत नाबालिग है और मूर्ति मंदिर की भूमियों पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के प्रावधानों के अन्तर्गत किसी अन्य व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते हैं। उक्त तथ्यात्मक एवं विधिक स्थिति के परिप्रेक्ष्य में हम विवादित भूमि को पुनः माफी मंदिर श्री गोपालजी वाके देह के नाम अंकित किया जाना न्यायोचित समझते हैं। अतः यह रेफरेन्स रेफरेन्स स्वीकार किया जाता है तथा वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 42 / 1 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा भूमि बाबत अप्रार्थी के पक्ष में किये गये समस्त इन्द्राजात को निरस्त किया जाकर उक्त आराजी राजस्व अभिलेख में पुनः माफी मंदिर श्री गोपालजी वाके देह के नाम अंकित किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। सुनाया गया। **(राजेन्द्र कुमार)** **सदस्य**	